अग्रिम जमानत आवेदन सं0–286 / 2026

राजपुर थानाकांड संख्या–58 / 2026
अंतर्गत धारा–137(2), 3(5) भा.न्याय संहिता 2023

सुग्रीव सिंह वगै0

बनाम

बिहार सरकार

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता..... श्री अमित कुमार।
सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री केदारनाथ तिवारी।

18.04.2026	**आदेश** आवेदकगण /अभियुक्तगण **1. सुग्रीव सिंह, पे0–स्व0 नगीना सिंह, उम्र–67 वर्ष, 2. हीरामुनि देवी, पति–सुग्रीव सिंह, उम्र–60 वर्ष, 3. सुमित्रा देवी, पिता–सुग्रीव सिंह, सभी ग्राम– कोचाढ़ी, थाना–राजपुर जिला–बक्सर** के तरफ उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है जिस पर उभय पक्ष उपस्थित हैं। संक्षेप में अभियोजन वाद इस प्रकार है कि सूचिका धनवती देवी की पुत्री रिया कुमारी जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष 09 महीने है, दिनांक 12.02.2026 को उनके ही गांव के इन्द्रजीत कुमार भगाकर ले गये हैं और भगाने वाले में सुग्रीव सिंह, हीरामुनि देवी, सुमित्रा देवी, अनुराग कुमार, करण कुमार, अमन कुमार एवं आशीष कुमार हैं। सभी लोग सूचिका के पुत्री को बहला–फुसलाकर भगा दिये हैं। सूचिका के पुत्री अपने साथ पचास हजार नकद, सोने एवं चांदी का आभूषण लेकर भागी है। सूचिका को डर है कि उनकी पुत्री को कहीं मार न दे। बचाव पक्ष के वि0 अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उन्होंने कोई भी कार्य कारित नहीं किया है। उनके द्वारा आगे कथन किया गया कि आवेदकगण का इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही किसी अन्य न्यायालय में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। उनके द्वारा आगे कथन किया गया कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनके द्वारा आगे कथन किया गया कि आवेदकगण के विरूद्ध जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है वैसा कुछ भी नहीं है तथा उपरोक्त कोई भी धाराएं आरोपित नहीं होती हैं एवं उनके पुत्र से उनका किसी भी प्रकार का अब रिश्ता नहीं है जिसके संबंध में शपथ पत्र दाखिल

उपस्थितः–अनुपम कुमारी
अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, बक्सर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–286 /2026
थानाकांड–राजपुर थानाकांड संख्या–58 /2026
आदेश तिथि–18.04.2026

लगातार **18.04.2026**	किया गया है। अतः आवेदक किसी भी राशि का बंधपत्र दाखिल करने हेतु सक्षम हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की याचना करते हैं। वि0 लोक अभियोजक के द्वारा उपरोक्त जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया। उभय पक्षों को सुना और अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि सूचिका धनवती देवी के द्वारा दिये गये लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी धारा–137(2), 3(5) भा.न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत 07 व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज किया गया है जिसमें आवेदकगण भी नामजद हैं। कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि अब तक किये गये अनुसंधान में आवेदकगण के विरूद्ध प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कोई भी विधिक साक्ष्य नहीं पाया गया है। चूंकि आवेदकगण लड़के के पारिवारिक सदस्य हैं और उसी के कारण इनका नाम प्राथमिकी में दिया गया प्रतीत होता है। कांड दैनिकी की कंडिका–28 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक संख्या–01 एवं 02 पिता एवं माता हैं जो कि काफी वृद्ध हैं। प्रस्तुत मामले में सात साल से कम सजा का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह न्यायालय आवे. दकगण /अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार करना न्यायोचित समझती है, तद्नुसार आवेदक को आदेश प्राप्ति तिथि के पंद्रह (15) दिन के भीतर गिरफ्तार या आत्मसमर्पण की स्थिति में **मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर दाखिल** करने पर तथा **धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन अनुपालन करने** पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। (लेखापित व शुद्धित) **ह0/–** **अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ** **बक्सर।**